



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2079/2026

विनोद कुमार और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार कुशवाहा, नितिन चंद्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन चंद्र मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. यद्यपि इस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ताओं को गृह रक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है, लेकिन आज निर्देश अग्रेषित किए गए हैं, जिसके अनुसार दिनांक 02.02.2026 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई है, इसलिए वे वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने और नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता चाहते हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"